

(1)

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
कार बनाम सुखवन्त सिंह पुत्र जट सिव 3L4M

हस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत

सं. 63

सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
21/2018	<p>पटवारी हल्का 15 B L D A ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. 3 L 4 M के मुरब्बा नं. 242 के 1.443 बीघा, भूमि रकबा 418 राज है जिस पर श्री <u>सुखवन्त सिंह</u> पुत्र श्री <u>बच्च सिंह</u> जाति <u>जट सिव</u> सा 3 L 4 M ने अतिक्रमण कर सम्बत् 2074 फसल <u>रबी</u> नाजायज काशत कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक 20/02/2018 को पेश है।</p>	<p>नोटिस 85 25/11/18</p> <p>कुर्की आदेश नं. 86 25/11/18</p>
20-2-10	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

315118

पत्रावली उत्तर ई 214 123414
 द्वारा विवाही उत्तर भी गई सर्वाधिक
 बोलीवता सन्तोत विवाह कर्म करे पर
 गिराव लक 315118 सी 6500 भी रही
 उम्त बोली सीमा की गई 214 द्वारा
 विवाही शरीर वरिये चालनक 58 कि- 315118
 द्वारा चापकोष के जमा कर्वा सी गई जने प्रारणिक
 व सिमल से भाग दर्ज लेना की बारे परकारी लक
 द्वारा अतिकर्मी को बेदावर कर कर्वा नइक सारका
 प्रार कर लिया गया है एवं तावत शरीर कर्तुल कर
 ली गई है पत्रावली में शेष कार्यावली उपेक्षित नहीं
 है पत्रावली के द्वारा हुमाद से कर करियर दफतर
 हो।

वरजितर की पृष्ठ सं. 04 प्र. सं. 02
 दिनांक 15.5.18 राशि 650/- दर्ज किया।



पालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

ण सं० 63/18

वर्ष 2018

स्थान सरकार बनाम सुखवन्तारिह/बुधरिह जयसिख खा 3LGM

तेकरण दिनांक 25-1-18 निर्णय दिनांक 20-2-18

स्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
---------------	------------------------------------	---

2-18

पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत् 2074 रत्नी में भूमि रकबा राज दर्ज है।

अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 15BLD.A का प्रतिवेदन दिनांक 25-1-18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी सुखवन्तारिह पुत्र बुधरिह जाति जयसिख निवासी 3LGM को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 2LGM मु.नं. 242/418. कुल 1.443 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10 गुणा राशि 115 - शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 12BLM.A को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-2-18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।


तहसीलदार (राजस्व)
श्री विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं 04 की क्रम सं. 6 दिनांक 12-3-18 को 115 - दर्ज किया गया।


ता०रा०ले०